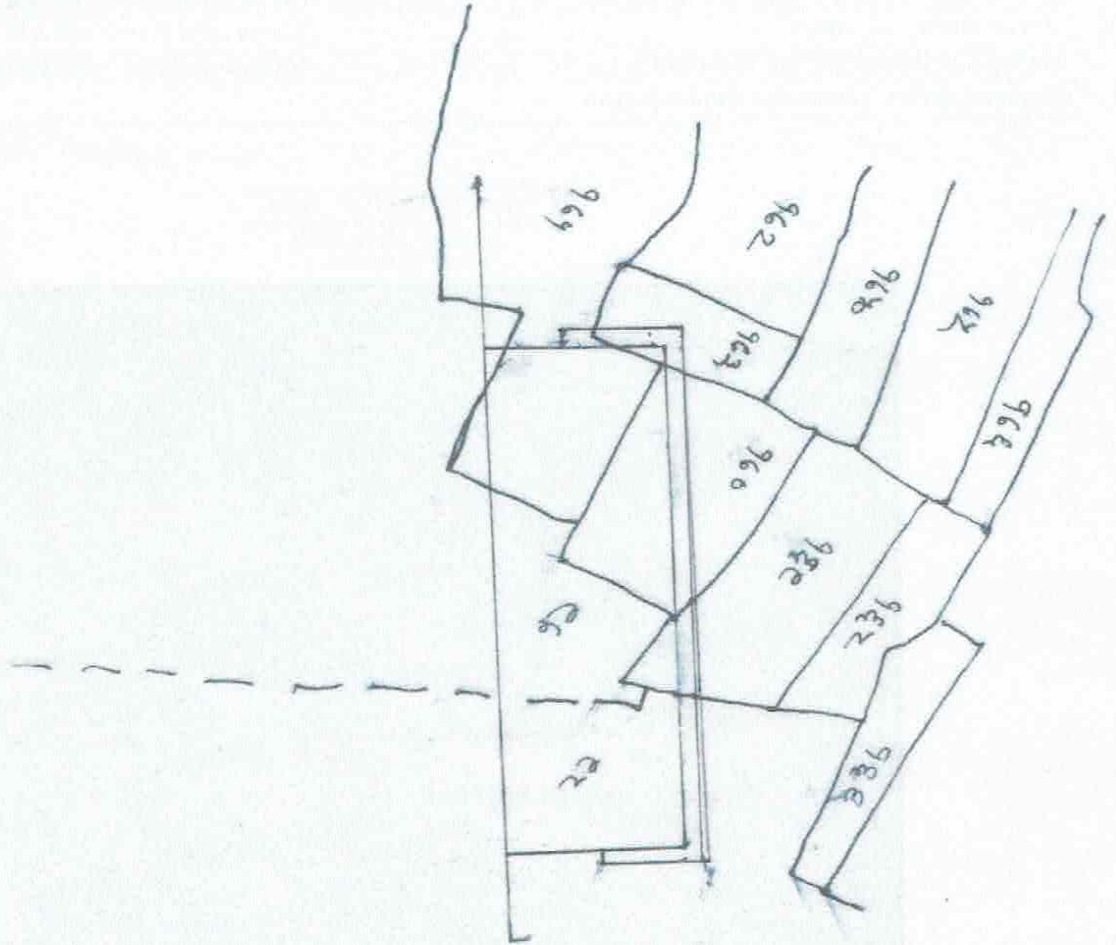


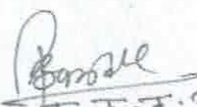
आम - महुपालवरि
प.ह.न. 32
ग.सि.म. बरि
नहकीस - बरि
जिला - बरि
मापमात्र - 3/8000



Bundla
प.ह.न. 32

छ.ग.वि.पारेषण द्वारा माँग की गई 220 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि
ग्राम - महुपालबरई प.ह.न. 32 तहसील - बस्तर

क्र.	भूमि का विवरण	प्रभावित रकबा	प्रभावित रकबा	कृषक का नाम/पिता	जाति	शासकीय मद/निजी
	ख.न.	कुल रकबा				
1	171	2.49	0.75	शासकीय भूमि	—	छोटे झाड़ का जंगल
2	98	9.35	1.04	स्कूल मैदान	—	छोटे झाड़ का जंगल
3	97	8.00	0.81	शासकीय भूमि	—	छोटे झाड़ का जंगल
4	173	0.55	0.08	शासकीय भूमि	—	छोटे झाड़ का जंगल
5	169	1.21	0.13	दीपक, पिता ईश्वर	भतरा	निजी
6	170	1.21	0.61	नीला बेवा नारायण दिनेश पिता नारायण	मुरिया	निजी
	कुल	22.81	3.42 हे.			


प.ह.न. 32

ग्राम सभा उपस्थिति पंजी

ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति पंजी

1. ग्राम पंचायत का नाम महुवाड़ा
2. ग्राम सभा का नाम विद्युत पावर लाईन विद्युत ग्राम सभा
3. सम्मिलन का तारीख 13-3-2016
4. सम्मिलन का स्थान पंचायत भवन
5. सम्मिलन का समय 10.00

अनुक्रमांक (1)	सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों के नाम (2)	सदस्यों के हस्ताक्षर (3)
1.	राजेश सिंह पंच	राजेश सिंह
2.	चैत सिंह बघेल पंच	चैत सिंह 13/03/2016
3.	राजेश सिंह कामरेव करवत पंच	कामरेव
4.	सुवर्ण बर्वा बघेल पंच	सुवर्ण
5.	मोहन सिंह बघेल पंच	मोहन
6.	राजेश्वरी बघेल पंच	राजेश्वरी
7.	मोहन बर्वा पंच	मोहन
8.	सुरेश बघेल	सुरेश
9.	रविन्द्र चौधरी	रविन्द्र
10.	जगदीश बघेल	जगदीश
11.	नारायण बघेल	नारायण
12.	लता बघेल	लता
13.	राजेश कुमार शर्मा (अतिथि) दस्तावेज मध्य	राजेश

सम्मिलित में उपस्थित सदस्यों के नाम (1)	सदस्यों के हस्ताक्षर (2)
14 अत चौहान ए. ए. टोटा	अत चौहान (कोटवाल)
15 विनय कुमार साहू का पंचायत	विनय कुमार साहू काज पंचायत महापालिका
16 सुहृ राम	
17 जयसिंह	जयसिंह
18 लालचंद	लालचंद
19 अमरु राम	अमरु राम
20 हरि	हरि
21 राम राम	राम राम
22 गोमती	गोमती
23 पद्मिनी	पद्मिनी
24 कृष्ण	
25 कुलेश	कुलेश
26 महादेव	महादेव
27 कृष्णा	कृष्णा
28 देवपत	देवपत
29 लखमी	लखमी
30 धनाराम	धनाराम

Date: _____
 दिनांक _____
 काज पंचायत महापालिका
 काज पंचायत महापालिका

ग्राम सभा महुपालबरई की बैठक दिनांक 19.03.2016 की कार्यवाही विवरण

ग्राम : महुपालबरई

स्थान : ग्राम पंचायत भवन महुपालबरई

दिनांक 19.03.2016

आज दिनांक 19.03.2016 को ग्राम महुपालबरई विकासखण्ड बस्तर के सरपंच श्रीमती लता बघेल के अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के कुल32..... सदस्य 100% प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई -

1. ग्राम महुपाल बरई में आवेदक कार्यपालन अभियंता (सिविल) 400 के.व्ही. सिविल संभाग छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या, जगदलपुर ने गैर वानिक कार्य के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 2.68 हे. जिसमें 0.00 हैं. वन भूमि एवं 2.68 हैं (ख.न. 97 रकबा 8.00 प्र.क्षे. 0.81 एवं ख.न. 98 रकबा 9.35 प्र.क्षे. 1.04 एवं ख.न. 171 रकबा 2.49 प्र.क्षे. 0.75 एवं ख.न. 173 रकबा 0.55 प्र.क्षे. 0.08 जिसका कुल योग 2.68 हैं.) राजस्व वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा हुई।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन निवासी की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गई जो वन भूमि 220/132 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र निर्माण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधियाँ नहीं संपादित कर रहे हैं। एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी भी को इस प्रस्तावित व भूमि पर नहीं दिया गया है।

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है -

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हैं. नै)
1	महुपालबरई	निरंक	निरंक

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया है कि 0.00 हे. वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि ख.न. 97 रकबा 8.00 प्र.क्षे. 0.81 एवं ख.न. 98 रकबा 9.35 प्र.क्षे. 1.04 एवं ख. न. 171 रकबा 2.49 प्र.क्षे. 0.75 एवं ख.न. 173 रकबा 0.55 प्र.क्षे. 0.08 कुल योग 2.68 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु आवेदक कर्मपालन अभियंता (सिविल) 400 के.व्ही. सिविल संभाग छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या, जगदलपुर को प्रचलित नियम के अनुसार व्यपवर्तित किया जाए।

latu
हस्ताक्षर

अथवा

उपस्थित सदस्यगण
क्रमांक नाम

सुनील सल्लान

नाम *लता पद्मे*
सरपंच *latu*
श्रीमती लता पद्मे
ग्राम पंचायत अध्यक्ष

नाम एवं अंगुठ का निशान

लता पद्मे
लता पद्मे
ग्राम पंचायत अध्यक्ष
जगदलपुर जिला (उ.प्र.)

CHHATTISGARH STATE POWER TRANSMISSION CO. LTD.

(A Government of Chhattisgarh Undertaking)

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER (CIVIL)

SHED NO. 5 DANGANIYA, RAIPUR

Phone No. 0771-2574581, Fax: 0771-2574145

No. 04-01/

Raipur, Date

AUTHORISATION

In partial modification to authorisation letter issued vide this office letter No.-04-01/1555-56, dtd. 05.08.2016, Shri Rajesh Kumar Rathod, E.E.(Civil), 400 KV Civil Dn., CSPTCL, Jagdalpur is hereby authorized to take up and pursue all related activities for obtaining Forest Clearance for the proposed 220/132 KV S/s. Jagdalpur at Kh.No.- 97, 98, 171 & 173, Total Rakba 2.68 Hect. of Vill-Mahupal Barai, PH.No.-32, Teh.- Bastar, Distt.- Bastar, in Chhattisgarh State.

- Sd -
Chief Engineer (Civil)
C.S.P.T.C.L., Raipur

No. 04-01/ 1600

Raipur, Date 10 AUG 2016

Copy to:-

1. The Superintending Engineer (Civil), CSPTCL, Raipur.
2. ✓ The Executive Engineer (Civil)Dn., CSPTCL, Jagdalpur.


Chief Engineer (Civil)
C.S.P.T.C.L., Raipur

प्रमाण पत्र

कार्यपालन अभियंता (सिविल) 400 के०व्ही० सिविल संभाग छ०रा०वि०पारे०क०मर्या० जगदलपुर के द्वारा ग्राम महुपाल बरई में निर्माणाधीन 400 के०व्ही० विद्युत उपकेन्द्र के बाजू में 200/132 के०व्ही० उपकेन्द्र निर्माण हेतु ग्राम महुपाल बरई, प०ह०न०-32, रा०नि०म० बस्तर तहसील बस्तर स्थित खसरा क्रमांक क्रमशः 97, 98, 171, 173, रकबा 8.00, 9.35, 2.49, 0.55 में से रकबा 0.81, 1.04, 0.75, 0.08 कुल रकबा 2.68 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1/ प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है, तथा संपूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की राजस्व वन भूमि 2.68 हे०, जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है, तथा ग्राम महुपाल बरई, तहसील बस्तर में स्थित है, में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 19/03/2016 प्रतिवेदन (प्रदर्श-"ब") पर दर्शित है।

2/ प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव ग्राम पंचायत महुपाल बरई में श्रीमती लता बघेल की अध्यक्षता में हुई, ग्राम सभा की बैठक दिनांक 19/03/2016 को रखा गया था। इस ग्राम सभा की बैठक में 100 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा वन समिति के 30 सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर विस्तार से समझाईस हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया कि इस क्षेत्र उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:-

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे० में)
1	महुपाल बरई,	निरंक	निरंक

3/ यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए, उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

4/ यह प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 19/03/2016 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी०टी०जी०) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार " अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" की धारा 3(1)(म) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5/ ग्राम सभा के दिनांक 19/03/2016 के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

दिनांक :- 12 / 7 / 2016

(अमित कटारिया)

कलेक्टर

अध्यक्ष, जिला वन अधिकार समिति
जिला बस्तर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बस्तर जिला जगदलपुर
// झापन //

क्रमांक / क / रीडर / 2016

जगदलपुर, दिनांक 4 / 7 / 2016

प्रति,

कार्यपालन अभियंता (सिविल)
400 के०व्ही० सिविल संभाग
छ०ग०वि०पारे०क०मर्या० जगदलपुर ।

विषय :- अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत ।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र० का.अ./सिविल/400 के०व्ही./16-17/146 दिनांक 01.06.2016 ।

— :: —

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करे । ग्राम महुपाल बरई में निर्माणाधीन 400 के०व्ही० विद्युत उपकेन्द्र के बाजू में 200/132 के०व्ही० उपकेन्द्र निर्माण हेतु ग्राम महुपाल बरई, प०ह०न०-32, रा०नि०म० बस्तर स्थित खसरा क्रमांक क्रमशः 97, 98, 171, 173, रकबा हेक्टेयर 8.00, 9.35, 2.49, 0.55 में से प्रभावित रकबा 0.81, 1.04, 0.75, 0.08 कुल रकबा 2.68 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि को भू-प्रत्यावर्तन किया जाना उल्लेखित किया गया है । यह भूमि राजस्व अभिलेख में छोटे झाड़ के जंगल मद में दर्ज है, जो राजस्व वन भूमि की श्रेणी है । जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील है ।

अतएव उक्त भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिए जाने के संबंध में विधिवत् वन विभाग से भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा । यदि वन विभाग द्वारा उक्त भूमि के संबंध में नियमानुसार भू-प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है, तो इस विभाग को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है ।


कलेक्टर
जिला बस्तर

पृ०क्रमांक / क / रीडर / 2016

जगदलपुर, दिनांक / / 2016

प्रतिलिपि :-

वन मण्डलाधिकारी, बस्तर वन मंडल (सा०) जगदलपुर की ओर सूचनार्थ ।


कलेक्टर
जिला बस्तर